(40)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना –2021 की समीक्षा

Master Plan Review–2021

पंजीकरण फार्म

REGISTRATION FORM

"ओपन हाउस मीट्स"

"OPEN HOUSE MEETS"

Zone. H

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए Form to be filled by Participant	
नाम Name	Satish Dholl
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	Personal Director (Plg.) MPR/TC, D.D.A. ... DELHI-2 Dy.No. 2952 Dated 11/5/12
वर्तमान स्थिति Present Position	Building Metrial Supplier
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	E-15/92 Sector 8 Rohini 9811191304
फैक्स : Fax :	
ई–मेल E-mail	
पता : Address :	E-15/92 Sector 8 Rohini
हस्ताक्षर : Signature :	[signature]
तिथि : Date :	11/5/2012

"अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं

"Submit your registration form at the venue of Open House meets."

254

श्री मान आयुक्त, योजना विभाग
डीडीए कार्यालय , मधुबन चौक
रोहिणी, दिल्ली - 110085

दिनांक - 01/05/2012

40

विषय :- रोहिणी परियोजना के अंतर्गत आवंटित किये गए छोटे प्लाटो को जोड़ने की ईजाजत तथा मास्टर प्लान 2021 में संशोधन हेतु ।

मान्यवर,

हम रोहिणी क्षेत्र के निवासी आपका ध्यान रोहिणी परियोजना के अंतर्गत आवंटित किये गए प्लाटो की ओर दिलाते हुए वहा रह रहे नागरिको द्वारा नरकीय जीवन व्यतीत किये जाने पर आक्रष्ट करते हुए निवेदन करना चाहते है कि :-

1. दिल्ली में रोहिणी परियोजना के अंतर्गत वर्ष 1982 में निम्न वर्ग के लोगो को 26 मीटर, 32 मीटर तथा 48 मीटर व 60 मीटर के प्लाट आवंटित किये गए थे जिसमे रहने के लिए एक कमरा ग्राउंड फ्लोर पर तथा एक कमरा पहली मंजिल पर बनाने की ईजाजत दी थी |
2. इस आवंटन को लगभग 28 वर्ष हो गये है तथा इन 28 वर्षो में रहने वाले परिवारों में स्वाभाविक रूप से बढोतरी हुई है लेकिन प्लाटो का साईज उतना ही रहने के कारण लोगो को अनेक प्रकार की सामाजिक एवं पारिवारिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है । एक ही परिवार में बहु बेटी सहित अन्य परिजनों का रहना काफी समस्याये उत्पन्न करता है |
3. इस संदर्भ में हमारा आपसे विन्रम आग्रह है कि आम आदमी की जरुरतो को ध्यान में रखते हुए इन प्लाटो में दो प्लाट जोड़कर बनाने की ईजाजत दी जाये जिससे यहाँ रहने वाले लोग सुविधा पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके |
4. इसी संदर्भ में हम यह निवेदन करना चाहते है कि डीडीए ने पूर्व में दो प्लाटो को जोड़े जाने की योजना को फ्री होल्ड किया था और दिल्ली नगर निगम ने भी जोड़ो के 4 मंजिल के नक़्शे पास किये थे |
5. किन्तु अब डीडीए तथा दिल्ली नगर निगम दोनों ही प्लाटो को जोड़े जाने को स्वीकृत नही कर रहे है । इस द्रष्टी से हमारा आपसे आग्रह है की मास्टर प्लान 2021 के प्रस्तावित संसोधनो में इस प्रस्ताव को भी जोड़ने की क्रपा करे |
6. रोहिणी क्षेत्र में सिंगल स्टोरी जनता फ्लैटों में भी लगभग इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है इसलिए जनता फ्लैटों में यदि F.A.R. बढाया जायेगा तो जनता फ्लैटों में रहने वाले लोग भी सुविधापूर्वक जीवन व्यतीत कर पाएंगे |
7. 26 मीटर, 32 मीटर तथा 48 मीटर व 60 मीटर के प्लाटो का कवरेज एरिया कम दिया गया है जो कि 90% है । इसलिए इन प्लाटो का 100% पूरा कवरेज एरिया दिया जाये और 1 मीटर का छज्जा ओपन पास किया जाये|

हमे आशा ही नही विश्वास भी है की नागरिको को सुविधा दिए जाने की आपकी मंशा के कारण लोगो को सुविधा प्राप्त होगी जिसके लिए हम सदेव आपके आभारी रहेंगे |

धन्यवाद | आदर सहित

भवदीय

Satish

सतीश कुमार ढुल
E-15/92, सेक्टर - 8,
रोहिणी, दिल्ली - 110085